न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष :**मनोज गोयल**
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 3623–पीबीआर/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 11–08–2014 पारित द्वारा तहसीलदार कसरावद जिला खरगोन प्रकरण कमांक 04/अ–13/2013–14

....

1 इंदरसिंह पिता श्री सालमसिंह राज़पूत
निवासी चिचली तहसील कसरावद जिला खरगोन
2 विजय पिता सालमसिंह राजपूत
निवासी चिचली तहसील कसरावद जिला खरगोन

.... आवेदकगण

विरूद्ध
भारतसिंह पिता श्री सिंगदारसिंह राजपूत
निवासी जरोली तहसील कसरावद जिला खरगोन

.... अनावेदक

– – –

श्री मुकेश तारे, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री कुनाल दुबे, अभिभाषक, अनावेदक

– – –

:: आ दे श ::
(आज दिनांक 21/4/15 को पारित)

आवेदकगण ने यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार कसरावद जिला खरगोन द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–8–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष संहिता की धारा 131 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि उनके स्वामित्व एवं हक की ग्राम चिचली प.ह.नं.2 खसरा नम्बर 306/1 रकवा

1.138 हैक्टर की कृषि भूमि पर पहुॅचने के रास्ते को आवेदक द्वारा उसके कृषि भूमि खसरा नम्बर 308/1 व खसरा नम्बर 308/2 पर हल चलाकर रोक दिया गया है और पानी छोड दिया है, जिससे अनावेदक अपनी भूमि पर नहीं पहुंच पा रहा है, अतः रास्ता खुलवाया जाये । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 4/अ–13/13–14 दर्ज किया जाकर उभयपक्ष की उपस्थिति में स्थल निरीक्षण किया गया व आपत्ति ऑमत्रित की गई । तहसीलदार द्वारा दिनांक 11–8–2014 को आदेश पारित कर उभयपक्ष द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर अनावेदक का आवेदन स्वीकार किया जाकर अनावेदक को अपनी भूमि पर आने जाने के लिये रास्ता खोला गया। तहसीलदार द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 11–8–2014 से व्यथित होकर आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से कहा गया कि तहसीलदार ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत पंजीकृत विकय पत्र पर बिना ध्यान दिये आवेदक की भूमि में से अनावेदक को रास्ता देने में अवैधानिकता की गई है क्योंकि पंजीकृत विकय पत्र में रास्ते का स्पष्ट उल्लेख है, जिसका उपयोग पूर्व भूमिस्वामी करते थे और उन्हीं के द्वारा अनावेदक को भूमि विकय की गई है । अनावेदक द्वारा तहसील न्यायालय में जो आवेदन प्रस्तुत किया गया है, उसमें कृषि भूमि जोतकर रास्ता रोकने का उल्लेख है जबकि स्थल निरीक्षण में पत्थर की पाल होना पाई गई है, इससे स्पष्ट है कि रास्ता मौके पर नहीं था और न ही आवेदक द्वारा रास्ता रोका गया है । तर्क में यह भी कहा गया कि अनावेदक के लिये शासकीय रास्ता उपलब्ध है जिसके बावजूद आवेदक की भूमि में से रास्ता देने में तहसील न्यायालय द्वारा त्रुटि की गई है । अन्त में कहा गया कि तहसीलदार का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ प्रतिउत्तर में अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा प्रकरण में तर्क सुने जाकर अंतिम आदेश पारित किया जाना है अतः इसी आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाये । यह भी कहा गया कि तहसीलदार द्वारा मौके पर प्रश्नाधीन रास्ता होना पाया गया है इस कारण उनके द्वारा रास्ता देने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है । यह भी कहा गया कि

तहसीलदार द्वारा अभी प्रकरण में अंतिम आदेश पारित किया जाना है जहॉ आवेदकगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है ।

5/ उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्क के संदर्भ में अभिलेख का सूक्ष्म अवलोकन किया गया। तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा उभय पक्ष की उपस्थिति में स्थल निरीक्षण किया जाकर मौके पर रास्ता होना और आवेदकगण द्वारा अवरूद्ध किया जाना पाया गया है तथा अनावेदक के लिये वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होना नहीं पाया गया है । अतः तहसीलदार द्वारा अंतरिम आदेश पारित कर आवेदकगण को रास्ता चालू करने का आदेश देने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । इस सम्बन्ध में आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क मान्य योग्य नहीं है कि आवेदकगण की भूमि में से रास्ता दिया गया है और अनावेदक के लिये वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है, क्योंकि आवेदकगण की ओर इस सम्बन्ध में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है कि मौके पर रास्ता नहीं है, और आवेदकगण के लिये वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है । इसके अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा अभी अंतरिम आदेश पारित किया गया है, और प्रकरण का अंतिम निराकरण किया जाना है, जहां आवेदकगण को पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है, और वह मौके पर रास्ता नहीं होना तथा आवेदकगण की भूमि में से रास्ता दिया जाना प्रमाणित कर सकते हैं । इस प्रकार तहसीलदार द्वारा पारित आदेश विधिसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार कसरावद जिला खरगौन द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–8–2014 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर